

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक / 2259

/ 2019-20

दिनांक

08 मई, 2019

प्रधानाचार्य,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, हाथरस।

आप द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र 19.03.2019 के क्रम में सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक, 08, मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-18 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक : 08 मई, 2013 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

कृपया सूचित होने का कष्ट करें।

(हरीशचन्द्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हाथरस।

Chakr